

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 27/11/15

संख्या-1/सी0-207/2013 का० - 10105 / भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के निम्नलिखित पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में तीन माह की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति (30.11.2015) के पश्चात् झारखण्ड सम्वर्ग में योगदान की तिथि से इन्हें इनके नाम के सामने अंकित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के साथ प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटित विभाग
1	श्री आदित्य कुमार आनंद	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
2	सुश्री आकांक्षा रंजन	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
3	श्री सूरज कुमार	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
4	श्री शशि रंजन	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
5	श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
6	श्री जीशान कमर	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

2. इन पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे आवंटित विभाग में सचिव/प्रधान सचिव के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

3. संबंधित सचिव/प्रधान सचिव पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं/कार्यकलापों से अवगत करायेंगे एवं विभागीय/अन्तर्विभागीय बैठकों में इन्हें अपने साथ शामिल करेंगे।

4. यह प्रतिनियुक्ति 01.12.2015 से 21.12.2015 तक प्रभावी होगी। तत्पश्चात् ये पदाधिकारी विभागीय अधिसूचना झापांक-6593, दिनांक-24.07.2015 द्वारा अधिसूचित अनुमण्डलों में अपना योगदान देंगे।

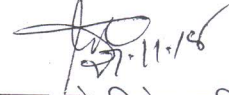
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(सुमन कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक-1/सी0-207/2013 का० - 10105 / राँची, दिनांक 27/11/15
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पार्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी

विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / महाधिवक्ता, झारखंड, राँची / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची / भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड / सम्बन्धित पदाधिकारी / कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 11.11.16

सरकार के विशेष सचिव।